Shodh Sari-An International Multidisciplinary Journal

@2023 International Council for Education Research and Training
2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
ISSN: 2959-1376
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अंतर्दृष्टि एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

कुमार, नरेश
असिस्टेंट प्रोफेसर, पाठ्यक्रम एवं शिक्षाशास्त्र विभाग, मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, दक्षिण-पश्चिम, घुम्मनहेड़ा, नई दिल्ली, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्, वरुण मार्ग, नई दिल्ली

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्वों से युक्त एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करने पर बल देती है। इस नीति की अंतर्दृष्टि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि सही मायने में वे वैश्विक नागरिक बन सकें। यह नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है तथा जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निवेश एवं इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक सुनिश्चित सुनिश्चित करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में लचीली, बहुआयामी, खेल, गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा का समावेशन करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करना, विस्तृत और सशक्त (ईसीसीई) संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य के विकास की निगरानी एवं जाँच-परीक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं जो इसे अपने आप में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं।

मुख्य शब्द- *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, संवैधानिक मूल्य, नवाचार, गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा, वैश्विक नागरिक, आंगनवाड़ी, बालवाटिका, संयुक्त कार्य बल।*

@2023 International Council for Education Research and Training 2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
ISSN: 2959-1376 DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

प्रस्तावना

शिक्षा मानवीय क्षमताओं को प्राप्त प्राप्त करने, न्यायसंगत एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना एवं विकास तथा राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक मूलभूत आवश्यकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे कि देश की समृद्ध प्रतिभा तथा संसाधनों का सर्वात्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व अर्थात् मानवता की भलाई के लिए किया जा सकता है। इसी संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत की 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। सबके लिए आसान पहुच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित यह नई शिक्षा नीति सतत् विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21 वीं सदीं की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी 4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देती है तथा यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्याज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ-साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या-समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि; नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। इस शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर देते हुए विद्यालयी पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 की नई पाठ्यक्रम संरचना लागू की जाएगी जो क्रमशः 3-8, 8-11, 11-14, और 14-18 उम्र के बच्चों के लिए है तथा इस नीति में अब तक दूर रखे गए 3-6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है। इस नई शिक्षा प्रणाली अथवा व्यवस्था में तीन साल की आँगनवाड़ी/प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी तथा प्री स्कूलिंग एवं स्कूली शिक्षा को मिलाकर यह अवधि कुल 15 वर्ष की होगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी शिक्षा, भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिए शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिए तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय, सतत् सीखते रहने की कला और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 यह उल्लेखित किया गया है कि- *"रोजगार और वैश्विक पारिस्थितिकी में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की*

@2023 International Council for Education Research and Training 2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
ISSN: 2959-1376 DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जा रहा है, उसे तो सीखें ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखें। इसलिए शिक्षा में विषयवस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या-समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग ला पायें। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी-केन्द्रित हो, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो और समग्रता और समन्वित रूप से देखने-समझने में सक्षम बनाने वाली और अवश्य ही रूचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करे इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के आलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाये। शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, शिक्षार्थियों में नैतिकता, करूणा और संवदेनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए।" - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ 3-4, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की जगह प्रतिस्थापित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अंतर्दृष्टि (विज़न)

भारतीय संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्त्वों से युक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 एक ऐसी शिक्षा नीति है जो देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। इस नीति की अंतर्दृष्टि (विज़न) छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में अपितु उनके व्यवहार, बुद्धि और कार्यों, कौशल, मूल्यों एवं सोच आदि में भी होना चाहिए। इस नीति की अंतर्दृष्टि में जीवन-यापन, संवैधानिक मूल्यों एवं मौलिक दायित्त्वों का विकास, देश के साथ जुड़ाव एवं भारतीय होने का गर्व, स्थायी विकास, मानवाधिकार एवं बदलते विश्व में नागरिक के उत्तरदायित्व एवं भूमिका तथा वैश्विक कल्याण समाहित है तथा साथ ही भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति के रूप में बदलना है। इस संदर्भ में इस नीति में यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि- *"राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अंतर्दृष्टि (विज़न) भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति की अंतर्दृष्टि छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन*

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

तथा वैष्विक कल्याण के प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।" -राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020, पृष्ठ 8

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) का उद्देश्य- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवादी के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रावधानों की विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है-

1. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में निवेश एवं इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक सुनिश्चित करना-इस नीति के अनुसार वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इसमें निवेश करने से इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक हो सकती है जिससे कि सभी बच्चों को शैक्षिक प्रणाली में समान रूप से भाग लेने और तरक्की करने के अवसर प्राप्त हो अथवा मिल सकेंगे। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्त्वपूर्ण माना जाता है तथा बच्चों के मस्तिष्क को 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। इस नीति के अन्तर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास और देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द-से-जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध किया जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे विद्यालयी शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हों।

2. प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करना- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा (एनसीपीएफईसीसीई) दो भागों में विकसित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक सब-फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल के बच्चों के लिए एक अन्य सब-फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को शामिल किया जाएगा विशेष रूप से उन प्रथाओं को जो भारत में कई शताब्दियों से

@2023 International Council for Education Research and Training
ISSN: 2959-1376
2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

बाल्यावस्था की शिक्षा के विकास के लिए सम्द्ध है और वे स्थानीय परम्पराओं से विकासित हुईं हैं, जिनमें कला, कहानियाँ, कविता, गीत, खेल और बहुत कुछ शामिल हैं। शिक्षा का यह मॉडल माता एवं पिता दोनों के साथ-साथ आंगनवाड़ी के लिए भी एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा।

3. प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में लचीली, बहुआयामी, खेल, गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा का समावेशन करना- इस नीति में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में मुख्य रूप से बहुआयामी, लचीली, खेल-आधारित, बहुस्तरीय, गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है। उदाहरण के रूप में जैसे- अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, इंडोर एवं आउटडोर खेल, पहेलियाँ और तार्किक सोच, चित्रकला, पेंटिंग, अन्य दृष्य कला, शिल्प, नाटक कठपुतली, संगीत, समस्या सुलझाने की कला तथा अन्य गतिविधियों को शामिल करने के साथ साथ अन्य कार्य; जैसे- सामाजिक कार्य, मानवीय संवेदना, अच्छे व्यवहार, नैतिकता, शिष्टाचार, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, समूह में कार्य करना और आपसी सहयोग को विकसित करने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का समग्र उद्देश्य बच्चों का शारीरिक-भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, समाज-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवादी के लिए प्रारंभिक भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है।

4. विस्तृत और सशक्त (ईसीसीई) संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू करना- इस नीति का वृहद लक्ष्य भारत में चरणबद्ध तरीके से समूचे देश में उच्चतर गुणवत्ता वाले ईसीसीई संस्थानों के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना होगा तथा इसे सभी छात्रों तक पहुँचना होगा। इस संदर्भ में पिछड़े जिलों और उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता देनी होगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) प्रणाली को विस्तृत और सशक्त ईसीसीई संस्थानों के द्वारा लागू किया जाएगा जिसमें- पहले से काफी विस्तृत और सशक्त रूप से अकेले चल रहे आंगनवाड़ियों के माध्यम से, प्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आंगनवाड़ियों के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से जो कम-से-कम 5 से 6 वर्ष पूरा करेंगे और प्राथमिक विद्यालयों के पास स्थित है तथा अकेले चल रहे प्री-स्कूल के माध्यम से इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा ये सभी विद्यालय ईसीसीई के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों एवं शिक्षकों को भर्ती करेंगे।

5. प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए आँगनवाड़ी केन्द्रों को सशक्त बनाना- वर्ष 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक

@2023 International Council for Education Research and Training 2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
ISSN: 2959-1376 DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ईसीसीई) की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, खेलने के उपकरण एवं पूर्ण रूप से प्रशिक्षित आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जाएगा तथा प्रत्येक आंगनवाड़ी में समृद्ध शिक्षा के वातावरण के साथ-साथ अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ हवादार, बाल-सुलभ एवं निर्मित भवन होगा तथा इन केन्द्रों में बच्चे गतिविधि से भरे पर्यटन करेंगे और अपने स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों से मिलेंगे जिससे कि आंगनवाड़ी केन्दों से प्राथमिक स्कूलों के मध्य उचित समन्वय और सहयोग स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ियों को विद्यालय परिसरों अथवा समूहों में पूरी तरह से एकीकृत किया जाएगा और आंगनवाड़ी बच्चों, माता-पिता और शिक्षकों को स्कूल अथवा स्कूल के विभिन्न कार्यक्रमों में परस्पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

6. ईसीसीई शिक्षकों का शुरूआती कैडर तैयार करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना- इस नवीन शिक्षा नीति में ईसीसीई शिक्षकों का शुरूआती कैडर तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/शिक्षकों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित पाठ्यक्रम/शिक्षण-शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाले आंगनवाड़ी कार्यकत्री/शिक्षक को ईसीसीई में 6 महीने का प्रमाणपत्र कार्यक्रम कराया जाएगा एवं कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को एक वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा जिसमें प्रारंभिक साक्षरता, संख्या और ईसीसीई के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को शामिल किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/शिक्षकों के ईसीसीई प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा और निरन्तर मूल्यांकन के लिए कम-से-कम एक मासिक कक्षा भी चलाएगा। इसके अतिरिक्त शिक्षकों की प्रारंभिक व्यावसायिक तैयारी और उसके सतत् व्यावसायिक विकास (सीपीडी) के लिए आवश्यक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा तथा ईसीसीई को चरणबद्ध तरीके से आदिवासी बहुल क्षेत्रों की आश्रमशालाओं में भी शुरू किया जाएगा।

7. हर बच्चे को 5 वर्ष की आयु से पहले प्रारंभिक कक्षा या 'बालवाटिका' में स्थानांतरित करना- प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या 'बालवाटिका' जो कि कक्षा एक से पहले है में स्थानांतरित हो जाएगा एवं जिसमें एक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) योग्य शिक्षक होगा। तैयारी कक्षा में सीखना मुख्य रूप से खेल-आधारित शिक्षा पर आधारित होना चाहिए जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं शारीरिक क्षमताओं और प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

@2023 International Council for Education Research and Training 2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
ISSN: 2959-1376 DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

8. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम एवं स्वास्थ्य के विकास की निगरानी एवं जाँच-परीक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना- इस नीति के अन्तर्गत इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि मध्याह्न (दोपहर के) भोजन कार्यक्रम को प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ तैयारी कक्षाओं तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए तथा साथ ही स्वास्थ्य के विकास की निगरानी और जाँच-परीक्षण जो आंगनवाड़ी व्यवस्था में पहले से उपलब्ध है उसे प्राथमिक विद्यालयों की तैयारी कक्षाओं के छात्रों को भी उपलब्ध कराया जाएगा।

9. प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना एवं क्रियान्वयन - राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी जिससे कि प्राथमिक विद्यालय के माध्यम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तक इसकी निरन्तरता सुनिश्चित की जा सके तथा शिक्षा के मूलभूत पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना एवं क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप में किया जाएगा एवं स्कूली शिक्षा में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सुचारू एकीकरण एवं सतत् मार्गदर्शन के लिए एक विशेष 'संयुक्त कार्य बल' अर्थात् 'टास्क फोर्स' का गठन किया जाएगा।

निष्कर्ष- उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गयी है। यह सबके लिए आसान पहुँच, समानता, गुणवत्ता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर आधारित है और इसका उद्देश्य 21 वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र और लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना तथा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। यह नीति भारत की परम्परा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए, 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित, सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की अंतर्दृष्टि (विज़न) भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। इस शिक्षा नीति के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे प्रमुख प्रावधान हैं; जैसे- प्रारंभिक बाल्यावस्था

@2023 International Council for Education Research and Training 2023, Vol. 02, Issue 03, 106-113
ISSN: 2959-1376 DOI: https://doi.org/10.59231/SARI7594

देखभाल और शिक्षा में निवेश एवं इसकी पहुँच देश के सभी बच्चों तक सुनिश्चित करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में लचीली, बहुआयामी, खेल, गतिविधि एवं खोज आधारित शिक्षा का समावेशन करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित करना, 5 वर्ष की आयु से पहले हर बच्चे को प्रारंभिक कक्षा या 'बालवाटिका' में स्थानांतरित करना, विस्तृत और सशक्त (ईसीसीई) संस्थानों द्वारा ईसीसीई प्रणाली को लागू करना, ईसीसीई शिक्षकों का शुरूआती कैडर तैयार करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम तथा स्वास्थ्य के विकास की निगरानी एवं जाँच-परीक्षण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा पाठ्यक्रम की आयोजना एवं क्रियान्वयन आदि जो इसे अपने आप में एक विशिष्ट एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाते हैं। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल एवं शिक्षा के संदर्भ में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश की शिक्षा व्यवस्था एवं प्रणाली को एक नया आधार एवं दिशा प्रदान करने वाली एक प्रमुख शिक्षा नीति के रूप में संबोधित किया जा सकता है।

संदर्भ-

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

Ministry of Human Resource Development, Government of India, National Education Policy, 2020

https://www.ugc.ac.in/pdfnews/5294663_Salient-Featuresofnep-Eng-merged.pdf

Received on March 08, 2023
Accepted on April 01, 2023
Published on July 01, 2023